



सोनौली बॉर्डर: नकली मोटर पार्ट्स बेचने वाले दो दुकानों पर छापा, मुकदमा दर्ज



भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली के भारतीय क्षेत्र में नकली मोटर पार्ट्स के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए अशोक लिलैण्ड लिमिटेड कंपनी की सीनियर इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली मोटर पार्ट्स बरामद किए गए और दो दुकानदारों के खिलाफ सोनौली कोतवाली में कॉपीराइट एक्ट 63 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।

कार्रवाई का विवरण:

सोनौली कोतवाली क्षेत्र के नौतनवा-सोनौली मुख्य मार्ग पर कुनसेरवा बाईपास चौराहे पर स्थित अवनीश ऑटो स्पेयर की दुकान में छापेमारी की गई। जांच के दौरान अशोक लिलैण्ड के नकली मोटर पार्ट्स पाए गए।

इसके बाद, **टीम ने पप्पू ऑटोमोबाइल की जांच की।** दुकान के मालिक रविंद्र सिंह (पुत्र लेहना सिंह, उम्र 63 वर्ष), जो वार्ड नंबर-18, जानकीनगर, थाना नौतनवा, जनपद महाराजगंज के निवासी हैं, की दुकान में भी बड़ी संख्या में नकली मोटर पार्ट्स बरामद हुए।

मुकदमा दर्ज और कार्रवाई जारी:

अशोक लिलैण्ड कंपनी के सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिलीप कुमार की शिकायत पर सोनौली पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस नकली मोटर पार्ट्स के कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है।

व्यापारियों में हड़कंप:

इस कार्रवाई से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में नकली मोटर पार्ट्स बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस और कंपनी की टीम की सख्ती के चलते अन्य दुकानदारों और कारोबारियों में डर का माहौल है।

Source: <https://www.indonepalnews.in/?p=60345>